रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 125] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 1983/श्रावण 7, 1905

No. 125] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 1983/SRAVANA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1983

सं० 5(56)-संस्था०-III/83.—भारत सरकार सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धियों के ढांचे की सापेक्षताओं में वर्षों से हुए परिवर्तनों पर पिछले कुछ समय से विचार करती रही है। 1973 में, पिछले वेतन आयोग द्वारा दी गई अपनी रिपोर्ट के समय से लेकर परिस्थितियों में अनेक तरह के परिवर्तन भी हुए हैं। तद्नुसार केन्द्रीय वेतन आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया गया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. अध्यक्ष—न्यायमूर्ति श्री पी०एन० सिंघल
2. सदस्य—प्रो० एम०वी० माथुर
3. सदस्य—श्री जे० पी० कक्कड़
4. सदस्य—डा० गोपाल दास नाग
5. सदस्य सचिव—श्री ए० के० मजूमदार

2. आयोग के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :—

(1) निम्नलिखित वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति लाभों सहित, समग्र लाभों को ध्यान में रखते हुए परिलब्धियों तथा सेवा शर्तों की वर्तमान संरचना की जांच करना और ऐसे परिवर्तनों का सुझाव देना जो वांछनीय और व्यावहारिक हों—

(i) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी—औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक;

(ii) अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिक;

(iii) संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारी।

(2) सशस्त्र सैनिक कार्मिकों को उपलब्ध, मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति लाभों सहित, नकद और वस्तु के रूप में समग्र लाभों को ध्यान में रखते हुए परिलब्धियों की वर्तमान संरचना की जांच करना और उनकी सेवा-शर्तों को ध्यान में रखते हुए ऐसे परिवर्तनों का सुझाव देना जो वांछनीय और व्यावहारिक हों।

(3) कर्मचारियों को वेतन के अलावा वर्तमान में उपलब्ध भत्तों और वस्तु के रूप में लाभों की विविधता की जांच करना और प्रशासन में कार्य-कुशलता को बढ़ावा देने की दृष्टि से उनके युक्तियुक्त-करण तथा सरलीकरण का सुझाव देना।

(4) अन्य संगत बातों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों आदि के अन्तर्गत विद्यमान वेतन-ढांचे, देश की आर्थिक परिस्थितियों, केन्द्रीय सरकार के संसाधनों और

विकास संबंधी आयोजन, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण जैसी उन संसाधनों पर मांगों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त के संबंध में सिफारिशें करना ।

3. आयोग अपनी स्वयं की कार्यविधि तैयार करेगा और वह ऐसे सलाहकारों, संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जो वह किसी विशेष प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे। वह ऐसी सूचना मंगा सकता है और ऐसा साक्ष्य ले सकता है जो वह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग ऐसी सूचना और दस्तावेज तथा अन्य सहायता प्रदान करेंगे जोकि आयोग को आवश्यक हो। भारत सरकार को विश्वास है कि राज्य सरकार, सेवा संस्थाएं और अन्य संबंधित पक्ष आयोग को अपना संपूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे।

4. आयोग जैसा भी व्यवहार्य हो, अपनी सिफारिशें करेगा। यदि आयोग आवश्यक समझे तो वह सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिए जाने पर किसी मामले पर रिपोर्ट देने पर विचार कर सकता है।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और अन्य सभी संबंधित पक्षों को भेज दी जाए।

पी० के० कौल, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

RESOLUTION

New Delhi, the 29th July, 1983

No. 5(56)-E-III|83.—The Government of India have been considering for some time past the changes that have taken place in the relativities of the structure of emoluments of Government employees over the years. Conditions have also changed in several respects since the last Pay Commission made its Report in 1973. Accordingly, it has been decided to appoint the Fourth Central Pay Commission consisting of the following:—

(1) Chairman—Shri Justice P. N. Shinghal
(2) Member—Prof. M. V. Mathur.
(3) Member—Shri J. P. Kacker.
(4) Member—Dr. Gopal Das Nag.
(5) Member Secretary—Shri A. K. Majumdar.

2. The terms of reference of the Commission will be as follows:—

(1) To examine the present structure of emoluments and conditions of service, taking into account the total packet of benefits, including death-cum-retirement benefits, available to the following categories of Government employees and to suggest changes which may be desirable and feasible:—

   (i) Central Government employees—industrial and non-industrial.

   (ii) Personnel belonging to the All India Services.

   (iii) Employees of the Union Territories.

(2) To examine the present structure of emoluments taking into account the total packet of benefits in cash and kind including death-cum-retirement benefits available to Armed Forces personnel and to suggest changes which may be desirable and feasible, having regard to their terms and conditions of service.

(3) To examine the variety of allowances and benefits in kind that are presently available to the employees in addition to pay and to suggest rationalisation and simplification thereof with a view to promoting efficiency in administration.

(4) To make recommendations on the above having regard, among other relevant factors, to the prevailing pay structure under the Public Sector Undertakings, State Governments, etc., economic conditions in the country, the resources of the Central Government and the demands thereon such as those on account of developmental planning, defence and national security.

3. The Commission will devise its own procedure and may appoint such Advisers, institutional consultants and experts as it may consider necessary for any particular purpose. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. Ministries and Departments of the Government of India will furnish such information and documents and other assistance as may be required by the Commission. The Government of India trust that State Governments, Service Associations and others concerned will extend to the Commission their fullest co-operation and assistance.

4. The Commission will make its recommendations as soon as practicable. It may consider, if necessary, sending reports on any of the matters as and when the recommendations are finalised.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries|Departments of the Government of India, State Governments, Administrations of Union Territories and all others concerned.

P. K. KAUL, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983